कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.01.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सूरज कुमार पुत्र स्व0 सुखीराम थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–09/21, 02. मृतुन्जय कुमार राय पुत्र यशवन्त कुमार राय नि0 ग्राम तरया सुजान थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–10/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. लालमून पुत्र सूरज सोनकर नि0 बैंकटाचार्य परेड सरकार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–24/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दीपक चौहान पुत्र कृष्ण कुमार नि0 टेंगनहवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 12 केन वियर,15 शीशी मैकडाबर, 20 शीशी देशी शराब लाल परी बरामद कर मु0अ0सं0–04/21, 02. राज कुमार पुत्र राम नि0 विशेसरडीह केशवनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 शीशी देशी काकटर, 10 शीशी 08पी0एम0, 17 शीशी लाल परी, 08 एवन देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0–05/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप में 02 अभियुक्ता गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त–गौतम पुत्र रामदीन जयसवाल नि0 राजा मोहल्ला थाना को0नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–994/20, धारा 498ए,306 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी रामनाथ पुत्र स्व0 विशेश्वर नि0 आवास विकास जनपद फैजाबाद की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी की पुत्री प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 09.01.2021

03 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. प्रवीण कुमार उर्फ गोलू पुत्र वीजेन्द्र प्रसाद मिश्रा नि0 भटवलिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–28/21, धारा 411.413.419.420.468.471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 स्पेलेण्डर प्रो0 काला रंग।
02. 01 बजाज डिस्कवर रंग काला।
03. 01 बजाज प्लेटिना रंग काला।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 09.01.2021 को थाना को0 नगर के उ0नि0 करूणाकर पाण्डेय मय हमरह के देखभाल क्षेत्र में रवाना थे कि जिला चिकित्सालय के पास पहुॅचकर आपस में अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 01 व्यक्ति रेलवे नर्सरी तालाब के किनारे 03 मोटरसाईकिलों के साथ खड़ा है और गाड़ियों को झाड़ियों में छिपा रहा है। मुखबिर खास की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुॅचकर अभियुक्त प्रवीण को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें बरामद की गयी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त प्रवीण द्वारा बताया गया कि वह जनपद के विभिन्न स्थानों से मोटरसाईकिल चोरी कर उनकी नं0 प्लेट बदल कर मोटसाईकिलों को बेच देता है। अभियुक्त को थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 करूणाकर पाण्डेय।
02. उ0नि0 अजय कुमार गुप्ता।
03. का0 संजय कुमार सिंह।
04. का0 प्रदीप यादव।
05. का0 अरविन्द कुमार।